"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013— पौष 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-11/आठ-परि./2013. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक - 59 सन् 1988) की धारा - 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा - 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में —

1. नियम - 51 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :-
"51 - क, कतिपय जानकारी की प्रविष्टियॉ - रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, पंजीयन प्रमाणपत्र एवं मोटरयान पंजी में निम्नलिखित जानकारी निरपवाद रूप से इन्द्राज करेगा :-
(1) यदि वाहन में ओव्हर-हेंग हो तो वह दर्शाया जाएगा, और यदि नहीं किया गया है तो "अनुज्ञात नहीं" लिखा जाएगा ।
(2) वाहन के अंदर के कक्ष की चौड़ाई और लम्बाई।
(3) प्रभारी लिपिक और पर्यवेक्षक स्टाफ (कर्मचारी) का नाम और पदनाम।
(4) निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों की विशिष्टियों के अधीन वाहन का सत्यापन किया हो ।
(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं पदनाम, जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए आदेश दिया हो ।
(6) आवेदक के प्रतिनिधि, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति का नाम, जिसने कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया हो ।

वाहन की समस्त जानकारी और उक्त सूचना, कार्यालय के कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में एवं अन्य समुचित अभिलेख में दर्ज की जाएगी। आवेदक के प्रतिनिधि की पहचान वैध दस्तावेज के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, ताकि मुकदमेबाजी या पुलिस प्रकरण की दशा में ऐसे व्यक्ति के संबंध में सूचना उपलब्ध रहे।"

2. नियम–116 के उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"उप–नियम (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण बस "एक्सप्रेस सेवा" के रूप में और "डीलक्स बस" "एक्सप्रेस/डीलक्स सेवा" के रूप में उपयोग की जा सकेगी। अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, निरपवाद रूप से अनुज्ञप्त मार्ग (रूट इन परमिट) पर यान की भांति के अनुसार सेवा का प्रकार, जैसे कि साधारण, साधारण एक्सप्रेस, डीलक्स या डीलक्स एक्सप्रेस अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति के समय या अन्यथा, स्पष्ट करेगा।"

3. **नियम–158 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–**

"158 **बैठने की जगह (सीटिंग रूम)**–(1) साधारण सेवा के रूप में नियोजित मोटर–कैब या मेक्सी–कैब से भिन्न लोक सेवा यान में दिया जाने वाला न्यूनतम बैठने का स्थान, बैक रेस्ट (पीठ टेकनी) एवं मध्यरास्ता (बैठक के बीच आने–जाने का रास्ता) इत्यादि निम्नानुसार होगा :–

विवरण	साधारण	टीप
	न्यूनतम	
(1)	(2)	(3)
I. एक के पीछे एक बैठकों (सीटों) की दूरी–		
(क) जब यान में बैठक आर–पार लगे हुए हों और उनका सामने का मुख एक ही दिशा में हो,	70 सें.मी.	–
(ख) जब यान में बैठक आर–पार लगे हुए हों किन्तु आमने–सामने हों,	130 सें.मी.	साधारण से भिन्न के लिए अनुज्ञेय नहीं
(ग) जब बैठक यान की लम्बाई में लगे हुए और आमने–सामने हो।	140 सें.मी.	तदैव
II. बैठकों का आकार	40 X 40 सें.मी.	–
III. बैठक के आसन की सतह से पीठ की ऊंचाई	40 सें.मी.	–
IV. बैठक और बैठक की गद्दी का प्रकार	लेदर, पी.व्ही.सी. लेदर, रिगजिन या वैसे ही पदार्थ की सामग्री युक्त न्यूनतम 5 से.मी. मोटाई की फोम या रबर फोम की गद्दी	–
V. मध्य रास्ता (बैठकों के बीच आने–जाने का रास्ता)	35 सें.मी.	–

(2) पर्यटक यान से भिन्न डीलक्स बस, जो डीलक्स सेवा के रूप में चलायी जाएगी, की विशिष्टियाँ, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम–128 में यथा उपबंधित पर्यटक यान की बैठक क्षमता सहित विशिष्टियों के अनुरूप होगी।

(3) नियम–170–"क" (ख) में उल्लिखित शयन की विशिष्टियों के अध्यधीन रहते हुए, साधारण/डीलक्स बस के निचले आधे हिस्से में अथवा ऊपरी आधे हिस्से में अथवा ऊपर या नीचे दोनों हिस्से पर चालक के विपरीत दूसरे बाजू पर, एक कतार में शयन, उपलब्ध कराया जा सकेगा, और तल क्षेत्र के शेष भाग में इस नियम के बैठक की विशिष्टियों के अनुसार अधिकतम बैठक संख्या, उपलब्ध कराई जाएगी। यह उप–नियम ऐसे वाहन पर लागू नहीं होगा, जिसका व्हील–बैस 205 इंच से कम हो।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नीचे उल्लिखित समस्त बनावट एवं मॉडल की साधारण अवस्था की गाड़ी जिनका व्हील बेस निम्नानुसार है की बैठक क्षमता, उनके सामने दर्शायी गई न्यूनतम क्षमता से कम नहीं होगी :–

तालिका

स. क्र.	व्हील बेस मि.मी.	व्हील बेस इंच	साधारण वाहनों की न्यूनतम बैठक क्षमता: चेचिस का मूल निर्माण	चौड़ाई 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक नहीं होना चाहिए: 40% ओवरहेंग	चौड़ाई 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक नहीं होना चाहिए: 60% ओवरहेंग	चौड़ाई जो 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक होना चाहिए: 40% ओवरहेंग	चौड़ाई जो 213–3 से.मी. (7 फीट) से अधिक होना चाहिए: 60% ओवरहेंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2,540 – 2,921	100–115	16	–	–	–	–
2	2,946 – 3,048	116–120	20	–	–	–	–
3	3,073 – 3,429	121–135	–	20	25	–	–
4	3,454 – 4,064	136–160	–	25	30	–	–
5	4,089 – 4,318	161–170	–	32	35	35	37
6	4,343 – 4,953	171–195	–	33	36	42	44
7	4,978 – 5,207	196–205	–	–	–	46	48
8	5,232 – 5,334	206–210	–	–	–	48	50
9	5,339 – 5,639	211–222	–	–	–	50	56
10	5,664 से अधिक	223 से अधिक	–	–	–	सीटों का आवंटन पूर्ण रूप से नियम–158 (1) में यथा विनिर्दिष्ट कारपेट एरिया (तल क्षेत्रफल) के अनुसार ही किया जाएगा	

परन्तु पंजीयन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी साधारण/एक्सप्रेस लोक सेवा यान के संबंध में, उपरोक्त बैठकों में परिवर्तन कर सकेगा, जहां :–

(एक) नियम–162, के अधीन राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई आदेश;

(दो) फ्लोर स्पेस और ले आउट, उपरोक्त बैठक क्षमता प्रदान करने की अनुमति नही देते हैं;

(तीन) वाहन का परिमाप, विनिर्माता द्वारा ऊपर उल्लिखित वाहनों के परिमाप से परिवर्तित कर दिया गया हो;

(चार) जहां बॉडी का निर्माण, शासकीय अथवा अर्द्ध–शासकीय संस्था द्वारा जो केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी सलाह अथवा अन्यथा के लिए अनुमोदित है, अथवा विमानन विभाग के अनुमोदन द्वारा अथवा उपरोक्त उल्लिखित तकनीकी संस्था द्वारा जिसने कतिपय बड़े बॉडी निर्माता को बस की बॉडी के निर्माण के लिये अनुमोदन दिया हो, किया गया है तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे और बैठक क्षमता ऐसे संस्था/विभाग के प्रमाणीकरण के अनुसार नियत की जायेगी।

तथा ऐसा आदेश, उसका कारण दर्शाते हुए लिखित में किया जाएगा।

(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो, परन्तु इस नियम के अधीन प्रावधानों का पालन करने हेतु बॉडी का पुनर्निर्माण ऐसे नियम के प्रवर्तन की तारीख से चौबीस माह के भीतर मात्र कराया जा सकेगा। तथापि, जहां लोक सेवा यान का स्वामी, इस उप नियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख से चौबीस माह के पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उस वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र, पंजीयन प्राधिकरी द्वारा निलम्बित किया जायेगा। उसके पश्चात् प्रावधानों का पालन किये जाने पर, उस प्राधिकारी द्वारा निलम्बन को रद्द किया जा सकेगा । ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के ऐसे निलम्बन की सूचना समस्त जांच प्राधिकारियों और संबंधित पुलिस थानों को दी जाएगी।"

4. नियम 158 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"158–'क', बैठक क्षमता का निर्धारण–(1) बैठक क्षमता का निर्धारण, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन में उपलब्ध कारपेट–एरिया (तल क्षेत्र) के आधार पर, अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के पालन का परीक्षण करने के पश्चात् किया जायेगा।

(2) नियम 46 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए मोटर–केब अथवा मेक्सी–केब से भिन्न लोक सेवा यान के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ब्लू प्रिंट में वाहन का ले–आउट जो अधिकृत ड्राफ्ट–मेन द्वारा तल क्षेत्र और समस्त आवश्यक मापों, जैसे वाहन के अंदर की लम्बाई और चौड़ाई, मध्यरास्ता की चौड़ाई, चालक कक्ष के आकार, ओव्हर–हेंग के आकार, बैठकों के माप, चेचिस नंबर, इंजिन नंबर इत्यादि के साथ बैठक क्षमता और विचाराधीन वाहन में नियम 158 में उल्लिखित अन्य आवश्यकतायें के संबंध में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करे। बैठक व्यवस्था का ऐसा ले–आउट, ड्राफ्ट–मेन, यदि वाहन नया है, तो बॉडी निर्माता जिसने वाहन का निर्माण किया है के द्वारा तैयार एवं अनुमोदित, हस्ताक्षरित तथा आवेदक द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा। ब्लू–प्रिंट में वाहन का ऐसा ले–आउट, इन नियमों के प्रावधान के अनुपालन की पुष्टि में, दो प्रतियों में एवं विधिवत हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) मोटर–केब अथवा मेक्सी–केब से भिन्न लोक सेवा यान की बैठक क्षमता निर्धारित करते समय, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा :–

(एक) वाहन में उपलब्ध कारपेट एरिया (तल क्षेत्र) के सही निर्धारण हेतु निरीक्षण अधिकारी बस के अंदर की चौड़ाई तथा लम्बाई, का वास्तविक माप और आवेदक द्वारा ब्लू–प्रिंट में प्रस्तुत ले–आउट के साथ विशिष्टियों की जांच करेगा और सत्यापन के पश्चात् ब्लू–प्रिंट एवं पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा।

(दो) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, बैठक क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित मानदंड का पालन करेगा :–

नियम–158 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित कारपेट एरिया (तल–क्षेत्र) से निम्नलिखित घटाया जाएगा:–

(क) नियम 163 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चालक के अलग कक्ष हेतु अपेक्षित स्थान।

(ख) मध्य रास्ता के लिए उपलब्ध स्थान; और

(ग) प्रवेश एवं निकास दरवाजों के लिए अपेक्षित स्थान।

(तीन) खण्ड (दो) के अनुसार निर्धारित की गई मापों को घटाने के पश्चात्, ऐसे वाहन की बैठक क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, कारपेट एरिया के शेष बकाया में से प्रत्येक सीट हेतु आवश्यक स्थान को विभाजित किया जाएगा।

"158–ख. **बैठक क्षमता के निर्धारण के लिए प्राधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व–** वाहन के पंजीयन, उसकी विशिष्टियों के परिवर्तन अथवा बैठक क्षमता आदि के निर्धारण करते समय, निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी का यह प्रारंभिक कर्तव्य होगा कि किसी दस्तावेज के सत्यापन एवं हस्ताक्षर के पूर्व अधिनियम और नियमों में उल्लिखित विधि के समस्त प्रावधानों एवं निर्देशों का पालन करे।

5. नियम 163 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"163–क. **लोक सेवा यान में दरवाजे–** मोटर–केब एवं मेक्सी–केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे होंगे।

163–ख. **आपातकालीन निकास–** मोटर–केब और मेक्सी–केब से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में एक आपातकालीन निकास होगा। ऐसे आपातकालीन निकास हेतु विशिष्टियॉं, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उप–नियम (4) के प्रावधानों में उपलब्ध कराई गई विशिष्टियों के अनुरूप होंगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2013

NOTIFICATION

No.F-5-11/viii-Trans/2013. — In exercies of the powers conferred by section-65, of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.-59 of 1988), the State Government hereby, makes the following further amendment in Chhattishgarh Motor Vehicles Rule, 1994, the same having been previously published, as equired by sub-section (1) of Section-212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules-

1. After rule 51 the following shall be added, namely:-

"51-A. ENTRIES OF CERTAIN INFORMATION- The Registering Authority, shall invariably enter the following information in the certificate of registration, and in the register of motor vehicles:-

(1) It would be displayed if there is ever-hang in the vehicle and if not done then shall be written "not permitted".
(2) Width and length inside the room of vehicle.
(3) Name and designation of dealing clerk and supervising staff.
(4) Name and designation of the inspecting Officer who verified the vehicle as under specification of the Act and Rules made there under.
(5) Name and designation of the Registering Officer, who issued order for registration.
(6) Name of the representative of the applicant, agent or any person, who presented the documents in the office.

All the information of vehicle and the said information shall be entered in the computerized record of the office and in other appropriate record. The identity of representative of the applicant shall be ensured by valid document, so as to information regarding such person should be available in cash of litigation or police case. "

2. After sub-rule(1) of rule 116, the following shall be inserted, namely:-

"Subject to the provisions of sub-rule (1) an ordinary bus may be used as "Express service" and "Deluxe bus" may be used as "Express/Deluxe service". Permit granting Authority may invariably specify the type of service according to the speed of vehicle on the route in permit such as Ordinary, Ordinary Express, Deluxe or Deluxe Express at the time of grant of permit or other wise".

3. For rule 158 the following shall be substituted, namely:-

"158, SEATING ROOM-(1) The minimum seating space, back rest and gang-way etc, to be provided in public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab deployed as Ordinary service, shall be as follows:-

Particulars		Ordinary Minimum	Note
(1)		(2)	(3)
I-	Distance of Seats back to back-		
(a)	When seats are placed across the vehicle and facing in the same direction.	70 cm.	-
(b)	When seats are placed across the vehicle but facing each other.	130 cm.	For other than ordinary, not permissible
(c)	When seats are placed along with length of the vehicle and facing each other.	140 cm.	—do—
II-	Size of the Seats	40x40 cm.	-
III-	Height of the back of the seat above seat level.	40 cm.	-
IV-	Type of seat and seat cushion	Foam or Rubber Foam cushion of minimum 5 cm. thickness with upholstery of leather, PVC leather, the remix or like material.	-
V-	Gang-way	35 cm.	—

(2) The specifications for Deluxe bus other than Tourist vehicle to be run as deluxe service shall conform to the specification of Tourist vehicle including seating capacity as provided under rule 128, of the Central Motor Vehicle Rule, 1989.

(3) Subject to the specifications of bearth mentioned in rule 170-A (b), there may be provided bearths in the lower half side or upper half side or both upper and lower side, of the bus, Ordinary/Deluxe, opposite driver side in single breath row, and in remaining area of the carpet-area (floor space) the maximum number of seats as per specifications of seat in this rule shall be provided. This sub-rule shall not be applicable to a vehicle having less than 205 inches wheel-base.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the seating capacity of an ordinary Stage Carriage of all makes and models mentioned below, having following wheel base, shall not be less than the minimum capacity indicated against them:-

- Table-

Sl. No.	Wheel Base		Minimum Seating Capacity of Ordinary Vehicle					
	M.M.	Inches	Original construction in chassis	Width having not more than 213-3 cm. (7 fit)		Width having more than 213-3 cm. (7 fit)		
				40% Over hang	60% Over hang	40% Over hang	60% Over hang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	2,540 - 2,921	100 - 115	16	-	-	-	-	
2	2,946 - 3,048	116 - 120	20	-	-	-	-	
3	3,073 - 3,429	121 - 135	-	20	25	-	-	
4	3,454 - 4,064	136 - 160	-	25	30	-	-	
5	4,089 - 4,318	161 - 170	-	32	35	35	37	
6	4,343 - 4,953	171 - 195	-	33	36	42	44	
7	4,978 - 5,207	196 - 205	-	-	-	46	48	
8	5,232 - 5,334	206 - 210	-	-	-	48	50	
9	5,339 - 5,639	211 - 222	-	-	-	50	55	
10	Above – 5,664	Above 223	-	-	-	Assignment of seats shall be strictly in accordance with the carpet area as mentioned in rule 158 (1)		

Provided that the Registering Authority may by order, vary above seats in respect of any Ordinary/Express public service vehicle, where:-

(i) any order issued by the State Government under rule 162
(ii) the floor space and lay-out do not permit to assign the above seating capacity,
(iii) The dimensions of vehicle is changed by the manufacturer from the dimensions of vehicle mentioned above.

(iv) Where the body is constructed by the Government or Semi-Government Institution, which has been approved by the Central Government for technical advice or other wise, or by the approval of Aviation Department or by above mentioned technical Institution, which has given approval to some big body-builder for the construction of bus body, the provision of this rule shall not apply and seating capacity shall be assigned according to the certification of such Institution/ Department.

and such order shall be in writing giving reasons thereof.

(5) Nothing contained in this rule shall apply to a vehicle registered before the date of coming in to force of this rule, provided that the body may be re-constructed only within twenty four months from the date of such coming in to force, for complying the provisions under this rule. However, where the owner of a public service vehicle failed to comply the provision of this sub-rule after twenty four months from coming in to force of

this rule, the registration certificate of that vehicle shall be suspended by the Registering Authority. Thereafter on compliance of the provision, the suspension may be revoked by that Authority. Such suspension of registration of such vehicle shall be informed to all Checking Authorities and concerning police stations."

4. After rule 158 the following shall be added, namely:-

"158-A. Determination of Seating Capacity:- (1) The seating capacity shall be determined by the Registering Authority on the basis of carpet-area, (floor space) available in the vehicle, after examination of compliance of the provisions of Act and Rules made there under.

(2) Subject to the provision of rule 46, the Owner of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab, shall required to submit a lay-out in blue-print of the vehicle, prepared by the authorized drafts-man in respect of floor-space and seating arrangement with all necessary measurements such as length, and width inside of the vehicle, width of gang-way, size of driver's compartment, size of over-hang, seat measurements, Chassis number, Engine number etc, and other requirement mentioned in rule 158, of the vehicle under consideration. Such lay-out of seating arrangement shall be prepared and approved, singned by the drafts-man, body builder, who constructed the vehicle if it is new and also singed by the applicant. Such lay-out in blue-print of the vehicle, shall be submitted in duplicate and duly signed, in confirmation of the complying the provision of these Rules.

(3) The following general principles shall be observed by the Registering Authorities, while determining the seating capacity of a public service vehicle, other than motor-cab or maxi-cab:-

(i) For correct determination of carpet-area, (floor space), the Inspecting Officer shall actually measure the width and the length of vehicle inside he bus and check the specification with the lay-out in blue-print submitted by the applicant and after verification singed the blue-print and application of registration.

(ii) For arriving at seating capacity the Inspecting officer shall follow the norms mentioned below:-

Subject to the provision of rule 158, the following dimension shall be deducted from the Carpet-area:-

(a) Subject to the provision of rule 163, space required for separate compartment for driver.

(b) Space provided for Gang-way; and

(c) Space required for entrance and exit doors.

(iii) After deducting dimensions arrived at as per clause (ii) the remaining balance of carpet-area shall be divided by per seats required space for getting the seating capacity of such vehicle".

"Rule-158-B, Duties and Responsibities of Authorities in determination of seating capacity:- It shall be the primary duty of Inspecting Officer and Registering Authority while Registering a vehicle, change of particulars therein or fixation of seating capacity etc, to comply all the provisions of law and instructions mentioned in the Act and Rules, before verifying and signing any documents."

5. After rule 163 the following shall be added, namely:-

"**163-A. Doors in publice Service Vehicle-** There shall be two doors in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab for the entrance and exit of passengers".

"**163-B Emergency Exit-** There shall be an emergency exit in every public service vehicle other than motor-cab and maxi-cab. The specification for such emergency exit shall conform to the specification provided in the provisions of sub-rule (4) of rule 128, Central Motor Vehicle Rule, 1989."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKDA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.